

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान- उदयपुर

क्रमांक:- एफ 1(2)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2019/18114

दिनांक - 1-10-19

-: आदेश :-

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2019 अन्तर्गत दिनांक 12 अक्टूबर 2019 को उदयपुर से वैष्णोदेवी वाया चन्देरिया-अजमेर-जयपुर संचालित योजना की प्रथम ट्रेन के रवानगी की आवश्यक तैयारियों के मददेनजर वांछित प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, पुलिस व्यवस्थाएँ एवं यात्रियों की मुख्य तथा प्रतीक्षा सूची अनुसार यात्रा पर जाने की सूचना प्रेषित करने की व्यवस्थाएँ की जानी हैं। IRCTC द्वारा प्रेषित प्रासंगिक यात्रा संचालन का समय आपको जरिये ई-मेल प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में आपको प्रेषित QUOTA अनुसार यात्रियों को निर्धारित स्थान पर बुलाने हेतु निम्नानुसार रिपोर्टिंग समय निर्धारित किया जाकर नियमानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं:-

नाम जिला	यात्रा प्रारंभ/ बोर्डिंग स्टेशन एवं यात्री संख्या				कुल योग	व्यवस्था प्रभारी अधिकारी
	राणा प्रताप नगर रेल्वे स्टेशन (उदयपुर)	चन्देरिया रेल्वे स्टेशन	अजमेर रेल्वे स्टेशन	जयपुर जं. रेल्वे स्टेशन		
रिपोर्टिंग टाईम	6:00 A.M.	8:00A.M.	11:00A.M.	2:00P.M.		
उदयपुर	37				161 राणा प्रताप नगर रेल्वे स्टेशन (उदयपुर)	डॉ० प्रियंका भट्ट, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर मो०नं० 9461659777
बांसवाड़ा	26					
डूंगरपुर	19					
सिरोही	28					
जालौर	16					
पाली	35					
राजसमंद		14			375 चन्देरिया रेल्वे स्टेशन	श्री सुनील मत्तड़ उपायुक्त प्रधान कार्यालय। मो०नं० 8696917101 डॉ० ऋचा गर्ग, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, कोटा मो०नं०09530458086
चित्तौड़गढ़		55				
प्रतापगढ़		27				
कोटा		55				
बून्दी		29				
बारां		69				
झालावाड़		65				
भीलवाड़ा		61				
अजमेर			22		138 अजमेर रेल्वे स्टेशन	श्री गिरीश बच्चानी, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर मो०नं०09929097890
नागौर			46			
टोंक			30			
बीकानेर			14			
चुरू			9			
हनुमानगढ़			9			

श्री गंगा नगर			8				
जयपुर				88		श्री आकाश रंजन, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग(प्रथम), जयपुर मो0नं09680405206	
दौसा				6			
अलवर				24			
सीकर				21			
झुंझुनूं				20			
भरतपुर				31			
धौलपुर				14			
करौली				9			
सवाई माधोपुर				16			
जोधपुर				38			
बाड़मेर				20			
जैसलमेर				4			
	161	375	138	291	965		

उपरोक्त यात्रा के सफल संचालन हेतु निम्न व्यवस्था प्रभारी अधिकारियों के लिये निर्देश :-

1. नियुक्त प्रभारी अधिकारी प्रथमतः मुख्य सूची के चयनित यात्रियों को यात्रा के निर्धारित समय एवं स्थल पर दैनिक उपयोग की सामग्री अर्थात् कपड़े, कम्बल, दवाईयां इत्यादि संपूर्ण तैयारी के साथ आने हेतु सूचित करेंगे।
2. चयनित यात्रियों को सूचित करने के पश्चात् रिजर्व यात्रियों को यात्रा के निर्धारित समय एवं स्थल पर दैनिक उपयोग की सामग्री अर्थात् कपड़े, कम्बल, दवाईयां इत्यादि संपूर्ण तैयारी के साथ आने हेतु सूचित करेंगे। ताकि मूल चयनित सूची में से यदि कोई यात्री उपस्थित नहीं होता है तो तत्काल उसी सीट को आरक्षित सूची के यात्रियों आवंटित किया जा सके। अतः प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनको आवंटित कोटे की सीटें किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं रहे।
3. यात्रा तिथि पर आवश्यक प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु संबंधित क्षेत्र के जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय प्रशासन समन्वय किया जावे।
4. **IRCTC** के अधिकारियों से संपर्क कर यात्रा वाले दिन आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवायेंगे तथा टिकट प्राप्त कर यात्रियों को वितरण की व्यवस्था, यात्रियों को कोच में बिठाने की व्यवस्था करेंगे।
5. **IRCTC** के अधिकारियों से संपर्क कर यात्रा वाले दिन यात्रियों के अल्पाहार/ भोजन एवं पीने की पानी की आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवायेंगे।
6. यात्रा रवानगी के दौरान उपस्थित गणमान्य अतिथि/ अधिकारियों के स्वागत एवं सत्कार व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस बाबत् संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों का समय रहते सूचित करायेंगे। ट्रेन प्रभारी, चिकित्सा स्टाफ एवं सुरक्षाकर्मियों की रवानगी उदयपुर से रहेगी। अतः सहायक आयुक्त उदयपुर समन्वय करें।
7. यात्रियों को टिकट वितरण हेतु काउंटर बनाकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
8. यात्रा पर भेजे जाने वाले अनुरक्षकों के टिकट **IRCTC** से जारी कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यात्रियों को यात्रा पर अनुमत करने हेतु मौके पर यात्रियों को टिकट तभी जारी किये जायेंगे। सूची अनुसार उनकी प्रविष्टि मौके पर कम्प्यूटर सिस्टम के जरिये स्वतः सॉफ्ट वेयर के माध्यम से की जावेगी। यात्रा रवानगी पश्चात् यात्रा पर वास्तविक रूप से गये यात्रियों की सूचना का संकलन विभागीय **ACP/** सूचना सहायक द्वारा किया जावेगा। इस बाबत् श्री गौतम बेनर्जी **ACP** तकनीकी नोडल अधिकारी के रूप में वांछित मार्गदर्शन संबंधित सहायक आयुक्त एवं उनके स्टाफ को देंगे तथा इस बाबत् एक वीडियो कॉफ़ेसिंग दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 को रखी जावे जिसके लिये **DO&IT** से समय श्री बेनर्जी, उपनिदेशक द्वारा निर्धारित कराया जाकर संबंधित सहायक आयुक्त एवं इस



- कार्यालय को दिनांक 03-10-2019 तक सूचित किया जावेगा।
10. सभी सहायक आयुक्त अपने क्षेत्र में आवंटित सीटों हेतु सम्बन्धित प्रभारी सहायक आयुक्त से समन्वय कर तीर्थ यात्रियों से समय पर समन्वय कर यथासमय आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें।
 11. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर द्वारा इस यात्रा हेतु श्री शरद व्यास, सहायक निदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़, मो. 8696371539 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः सम्बन्धित सहायक आयुक्त श्री व्यास से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे। श्री व्यास राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से यात्रियों के साथ उक्त ट्रेन में सवार होकर चंदेरिया/अजमेर/जयपुर रेलवे स्टेशन पर सम्बन्धित यात्रियों को बैठाकर यात्रा सम्बन्धित **On Board** आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु प्रबंधक **IRCTC** से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करवायेंगे।
 12. संबंधित सहायक आयुक्त यह भी सुनिश्चित करें कि यात्रा हेतु नियुक्त ट्रेन प्रभारी/ चिकित्सा स्टॉफ एवं अनुरक्षकों का पूर्ण डेटा यथा नाम, आधार नंबर, मोबाईल नंबर, मूल निवास क्षेत्र आदि अंकित करा सूचना सहायक को भिजवायेंगे।


 (कृष्ण कुणाल)
 आयुक्त
 देवस्थान विभाग
 राजस्थान उदयपुर

क्रमांक:- एफ 1(2)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2019/1815-37
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 1-10-19

1. श्रीमान् शासन सचिव, देवस्थान विभाग सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार-जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार-जयपुर।
4. जिला कलक्टर समस्त जिला राजस्थान को आवश्यक सहयोग हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान-जयपुर, पास प्रेषित कर निवेदन है कि देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय में कार्यरत् **ACP** के मार्फत मुख्य एवं प्रतीक्षारत् सूची के यात्रियों को उपरोक्त तय समय पर निर्धारित यात्रा बोर्डिंग/ प्रारंभ स्टेशन पर पहुँचने का संदेश प्रसारित कराने के निर्देश प्रदान कराने का श्रम करावें।
6. पुलिस अधीक्षक उदयपुर/चित्तौड़गढ़/जयपुर को कानून व्यवस्था हेतु।
7. पुलिस अधीक्षक **GRP** अजमेर को उक्त ट्रेन हेतु 1+4 का सुरक्षा जाप्ता उपलब्ध कराने बाबत्।
8. श्री सुनील मत्तड़, उपायुक्त- प्रधान कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग बीकानेर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर/ जयपुर(द्वि0)/ ऋषभदेव/ हनुमानगढ़ को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं पालना हेतु।
9. श्री गौतम बेनर्जी, ACP देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को विन्दु संख्या-9 की पालना हेतु।
10. स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन राणा प्रतापनगर/चंदेरिया/अजमेर/जयपुर।
11. उपनिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क उदयपुर को प्रचार-प्रसार हेतु।
12. नोडल अधिकारी श्री शरद व्यास, सहायक निदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़, मो. 8696371539 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य क्षेत्रिय प्रबंधक **IRCTC**, बनीपार्क जयपुर को उनके 30 सितम्बर, 2019 के मेल के संदर्भ में प्रेषित कर निवेदन है कि समझोतानुसार यात्रा तिथि पर यात्रा प्रारंभ स्टेशन एवं बोर्डिंग स्टेशनों पर आवश्यक टेंट (चेयर/टेबल इत्यादि)/ बिजली/ पानी/अल्पाहार आदि इंतजाम कराने हेतु संबंधित को निर्देशित कराने का कष्ट करावें।


 (ओ.पी. जेन) 1-10-19
 अतिरिक्त आयुक्त
 देवस्थान विभाग